"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 204] रायपुर, बुधवार, दिनांक 1 अगस्त 2012—श्रावण 10, शक 1934

गृह (जेल) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2012

अधिसूचना

क्रमांक-एफ 3-3/तीन-जेल/2011.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ अराजपत्रित तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय तथा अलिपिक वर्गीय) जेल सेवा भर्ती नियम, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यह अधिसूचना दिनांक 17 जनवरी, 2012 से दो वर्ष की कालावधि के लिए प्रवृत्त रहेगी, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

1. अनुसूची-एक के भाग-ख के सरल क्रमांक 10 के कॉलम (4) में, शब्द "-तृतीय श्रेणी" के पश्चात्, शब्द "जिला स्तरीय" जोड़ा जाए.

2. अनुसूची-एक के पश्चात्, निम्नलिखित टीप जोड़ी जाए, अर्थात् :—
   "**टीप**— जेल अधीक्षक, सहायक ग्रेड-तीन के पद के लिए 17-01-2012 से 2 वर्ष की कालावधि के लिए नियुक्ति प्राधिकारी होंगे."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शोरी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2012

क्रमांक-एफ 3-3/तीन-जेल/2011.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ 3-3/तीन-जेल/2011 दिनांक 01-08-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शोरी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 1st August 2012

NOTIFICATION

No. F 3-3/Three-Jail/2011.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Non-Gazetted Class-III (Ministerial and Non- Ministerial) Jail Service Rules, 2009. This notification shall come into force from the date of 17th January, 2012 for a period of two years, namely :—

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,—

1. In column (4) of Serial number 10 of Part-B of Schedule-I, after the words "Class-III" the words "District Level" shall be added.

2. After the Schedule-I, the following Note shall be added, namely :—
"Note — Jail Superintendent shall be Appointing Authority for the post of Assistant Grade-III for a period of two years w.e.f. 17-01-2012."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S. P. SHORI, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.